

150
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Siya Ram Mandal ...Applicant

Versus

Eldico Company & OrsRespondent(s)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 951 OF 2024

Rajpal Singh ...Applicant

Versus

ELDICO Company & Ors.Respondent(s)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 542 OF 2025

Amisha Singh Applicant

Versus

Central Pollution Control Board & Ors.Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Additional Affidavit Of District	

	Magistrate Bareilly in compliance of order dated 04.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	ANNEXURE R-1 A Copy of letter dated 04.11.2025	
3.	ANNEXURE R-2 A copy of report dated 18.11.2025	
4.	ANNEXURE R-3 A copy of report dated 28.11.2025 submitted by A.C.M-II	
5.	ANNEXURE R-4 A copy of letter dated 29.11.2025	
6.	ANNEXURE R-5 A copy of the report dated 02.12.2025 submitted by the Remote Sensing Application Centre	
7.	ANNEXURE R-6 A copy of report dated 03.12.2025	
8.	ANNEXURE R-7 A copy of report submitted by revenue team constituted by letter 854/5/S.T 2025 dated 08.01.2026	
9.	ANNEXURE R-8 A copy of letter dated 04.11.2025 sent to Vice Chairman Bareilly Development Authority	

Dated- 19.02.2026

Ankit Verma

FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 09990804440 Email-ankit.scngtup@gmail.com

152

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Siya Ram Mandal ...Applicant

Versus

Eldico Company & OrsRespondent(s)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 951 OF 2024

Rajpal Singh ...Applicant

Versus

ELDICO Company & Ors. ...Respondent(s)

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 542 OF 2025

Amisha Singh Applicant

Versus

Central Pollution Control Board & Ors.Respondent(s)

**ADDITIONAL AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE
BAREILLY IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 04.12.2025
PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent No. 3 Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:



I, Avinash Singh aged about 55 years, s/o Late Shri Dinesh Bahadur Singh presently posted as District Magistrate District Bareilly, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

That I am above mentioned officer of the answering Respondent and is duly competent to file the present affidavit.

That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

S.N.
306
18/2/26



1. That the Deponent has read and understood the contents of the present additional affidavit. The averments made in the Original Application's which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

2. That the contents of the present additional affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed thereof.

3. That this Hon'ble Tribunal in vide order dated 04.12.2025 was pleased to pass the following directions:

A

"..... Learned Counsel appearing for the District Magistrate, Bareilly submits that the affidavit of District Magistrate, Bareilly alongwith the inspection reports disclosing the full status found at the ground level will be filed within two weeks....."

That the present additional affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 04.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

4. That it is submitted, that in compliance of the earlier order dated 30.10.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No. 745/2024 (Siyaram Mandal vs. Eldeco Company & Others) and O.A. No. 951/2024 (Rajpal Singh vs. Eldeco Company), the office of deponent vide letter no699/8/ST:2025 dated 04.11.2025 a five-member revenue team was constituted under the leadership of the Sub-Divisional Magistrate, Sadar, Bareilly comprising of Tehsildar Sadar Bareilly, Naib Tehsildar Bhojipura Sadar Bareilly, Revenue Inspector and Revenue Lekhpal and directed them to submit a report on Gata No. 508, area 0.1260 hectare, situated in Revenue Village Bilwa within two days. A copy of letter dated 04.11.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**

5. That, upon perusal of the village map (Shajra) of Village Bilwa, the five member revenue team made efforts to identify a nearby permanent reference point for the purpose of measurement. However, due to habitation on the eastern side, development of Eldeco Colony and on the northern side, and the southern portion being largely waterlogged, no fixed point could be found for accurate measurement. Consequently, the Chakroad bearing Gata




A

No. 908 of the adjoining Revenue Village Ghanghora Pipariya, located towards the western side, was taken as a fixed reference point and the measurement of Gata No. 508 was commenced.

6. That, although the demarcation of Gata No. 508 was carried out by the revenue team, in the absence of any other permanent fixed point at the spot, it was recommended that the said Gata be demarcated by using modern/technical instruments for ensuring precise and accurate measurement. A copy of report dated 18.11.2025 submitted by the revenue team is annexed herewith and marked as **Annexure R-2**.

7. That, after perusal of the report dated 18.11.2025 submitted by the revenue team, the deponent herein conducted a spot inspection of Gata No. 508 on 24.11.2025 in the presence of the Vice-Chairman, Bareilly Development Authority, the Secretary, B.D.A., the Additional District Magistrate (City), the Sub-Divisional Magistrate, Sadar, the Naib Tehsildar, Bhojipura, the concerned Revenue Inspector and the concerned Lekhpal. During the inspection, Shri Vijay Singh, Additional City Magistrate (II), an expert in Electronic Total Station (ETS) survey and a trainer with work experience at Raja Todarmal Training Institute, Hardoi, was directed to undertake the demarcation of Gata No. 508 through ETS Technology.

8. That, the ETS machine provided by NHAJ along with an operator was installed on the roof of the Community Hall, enabling clear visibility of all required points. Thereafter, by adopting the linear line method, the field book was prepared on the basis of nearby fixed points and, using the data so obtained, an AutoCAD map on the same scale



156
as the revenue map was prepared. On superimposition of both maps, Gata No. 508 was found to be shifted approximately 30 meters towards the south from its initial point. However, it was noted in the report that the fixed points taken were not pointed fixed points and, therefore, a marginal error could not be ruled out. In view of the sensitivity of the matter, it was recommended that the demarcation be carried out through the latest technology available with the Land Use & Urban Survey Division of the Remote Sensing Applications Centre Lucknow. A copy of report dated 28.11.2025 submitted by A.C.M-II is annexed herewith and marked as **Annexure R-3**.



That, thereafter, the deponent again conducted a spot inspection on 29.11.2025. A discrepancy was noticed in the position of Gata No. 508 between the demarcation carried out by the revenue team through the traditional method and the demarcation conducted through the ETS survey. Accordingly, considering the sensitivity of the matter, the deponent vide his office letter no 694/PA/2025 dated 29.11.2025 Addressed a letter along with telephonic consultation on 29.11.2025 with the Director, Remote Sensing Applications Centre, Lucknow for carrying out the most accurate demarcation of Gata No. 508 by using the latest available technology. A copy of letter dated 29.11.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-4**.

10. That, vide letter No. RSAC:LUSD:2025/275 dated 02.12.2025, the In-charge, Land Use & Urban Survey Division, Remote Sensing Applications Centre, Lucknow submitted his report stating that the revenue maps of Village Bilwa and the adjoining villages Ghanghora Pipariya and Dohana Pitamray were super imposed on a



large-scale satellite map. It was found that the actual position of the present Gata differed from the demarcation carried out by the traditional method; however, the demarcation done through the ETS machine was found to be nearly identical to the demarcation carried out by the Remote Sensing Application Centre. A copy of the report dated 02.12.2025 submitted by the Remote Sensing Application Centre is being annexed herewith and marked as **Annexure R-5.**

11. That, in this manner, the lake Gata No. 508, area 0.1260 hectare, which had been treated as a lake on the basis of traditional demarcation, was found to be actually situated about 30 meters south of its initial point. The said land was found to be level and free from encroachment at the spot. After scaling, the demarcation and marking were carried out by the revenue team of Tehsil Sadar on 03.12.2025. A copy of report dated 03.12.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-6.**

12. That, further, in respectful compliance with the law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 5016 of 2016 (Mantri Techzone Pvt. Ltd. vs. Forward Foundation), a team under the leadership of the Sub-Divisional Magistrate, Sadar, Bareilly was constituted to examine the properties falling within a radius of 75 meters from the periphery of the said lake. As per the report submitted by the team, within the 75-meter radius towards the south-east of the lake fall the club of Eldeco Colony and a private pond for water harvesting; towards the north-east fall a part of private pond and six villas and six plots; towards the north fall five villas. Thus, in total, 11 villas, 6 plots, a club house and a private water



harvesting pond is falling within the said 75-meter radius. A copy of report is annexed herewith and marked as **Annexure R-7.**

13. That, towards the south, within the 75-meter radius, approximately 4 meters of land outside the temporary boundary wall of the colony falls in Gata No. 495, area 0.594 hectare, which is lying vacant and is being used for agricultural purposes and is not recorded in the name of Eldeco City. Gata No. 494, area 0.329 hectare, lies within the temporary boundary wall of Eldeco City; however, the same is also not recorded in the name of Eldeco City. Gata Nos. 494 and 495 are recorded in the name of Krishna Kumar son of Bhaiya Lal, resident of Bihari PurKasgaran, District Bareilly as transferable Bhumidhar. The said tenure-holder has submitted an affidavit stating that he has no objection if his land falling within the temporary boundary wall constructed by the company is included within the boundary wall. Towards the western side, within the 75-meter periphery, vacant land of Eldeco Colony is situated.

14. That, the adjoining Gata Nos. 500 (area 0.531 hectare), 503 (area 4.856 hectare), 507 (area 0.253 hectare) and 509 (area 0.948 hectare), total area 6.588 hectare, have been purchased through registered sale deeds by the associate companies of Eldeco, namely Banyan Infracon Pvt. Ltd., Popular Infratech Pvt. Ltd., M/s Glaze Realtech Pvt. Ltd. and Welcome Infrabuild Pvt. Ltd., and the said Gata numbers are duly recorded in their names in the current Khatauni.

15. That it is further submitted that in respectful compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal the deponent vide his office letter no 659/PA-2025/MIS



①

dated 04.11.2025 has directed Vice Chairman Bareilly Development Authority not to approve any construction activity around 75meter from the periphery of the Lake gata no 508/0.126 Hectare of village Bilwa until further orders. A copy of letter dated 04.11.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-8.**



That in the interest of justice the present additional affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this 18th day of February , 2026.

DEPONENT

certified By Shri/smt. Avinash Singh
Identified By Shri Sourned.....
and Confirmed The Contents of Affidavit in My
presence At Bareilly Dated..... 18/2/26
and Further Understood The Contents

MUNISHWAR DAYAL
Advocate & Notary
Kachery Bareilly (U.P.)

160

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक: 699/8 /एस0टी0:2025

दिनांक: 04-11-25

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नम्बर 745/2024, सियाराम मण्डल बनाम एल्लिको कम्पनी व अन्य एवं ओ0ए0 नम्बर 951/2024, राजपाल सिंह बनाम एल्लिको कम्पनी में दिनांक 30.10.2025 को पारित आदेश के कम में राजस्व ग्राम विलवा, स्थित झील गाटा संख्या 508 रकबा 0.1260हे0 के सीमांकन हेतु उप जिलाधिकारी सदर, बरेली के नेतृत्व में निम्नलिखित टीम गठित की जाती है-

1. उप जिलाधिकारी सदर, बरेली।
2. तहसीलदार सदर, बरेली।
3. नायब तहसीलदार भोजीपुरा सदर, बरेली।
4. राजस्व निरीक्षक विलवा
5. क्षेत्रीय लेखपाल

उक्त टीम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच करते हुए अपनी सुस्पष्ट जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दो दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौरभ दुबे)
अपर जिलाधिकारी (नगर)
बरेली।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्बंधित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(स)
अपर जिलाधिकारी (नगर)
बरेली।

A

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी बरेली के पत्र संख्या 699/8/एस0टी0:2025 दिनांक 04.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजस्व ग्राम विलवा स्थित झील गाटा संख्या 508 रकबा 0.1260हे0 के सीमांकन हेतु उप जिलाधिकारी सदर, बरेली के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित की करते हुए प्रकरण की जॉचोपरांत आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच की गई। स्थलीय जॉच के क्रम में सर्वप्रथम ग्राम विलवा के शजरे में गाटा संख्या 508 रकबा 0.1260हे0 का अवलोकन किया गया तथा गाटा संख्या 508 के सीमांकन हेतु निकटतम स्थिर बिन्दु तलाशने का प्रयत्न किया गया। स्थल पर पाया कि गाटा संख्या 508 की पूर्वी दिशा में एल्लिको कालोनी का निजी तालाब उनका कम्यूनिटी हॉल तथा शेष आबादी व उसके बाद बरेली नैनीताल हाईवे स्थित है। पूर्वी दिशा में आबादी होने के कारण कोई भी स्थिर बिन्दु नहीं मिल सका तथा उत्तरी दिशा में भी एल्लिको कालोनी विकसित हो जाने के कारण कोई भी स्थिर बिन्दु उपलब्ध नहीं हो सका तथा गाटा संख्या 508 के दक्षिणी भाग में अधिकांश भाग जलमग्न होने के कारण पैमाईश हेतु कोई भी स्थिर बिन्दु नहीं मिल सका जिस कारण गाटा संख्या 508 के पश्चिमी दिशा में सीमावर्ती ग्राम घंघोरा पिपरिया की चकमार्ग गाटा संख्या 908 को स्थिर मानते हुए ग्राम विलवा की गाटा संख्या 508 की पैमाईश प्रारम्भ की गई। ग्राम घंघोरा पिपरिया की गाटा संख्या 908 चकमार्ग से सीमांकन के पश्चात गाटा संख्या 508 को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। स्थल पर अन्य कोई स्थिर बिन्दु उपलब्ध न होने के कारण गाटा संख्या 508 की सटीक एवं सही पैमाईश किसी आधुनिक/तकनीकी उपकरणों से कराया जाना समीचीन होगा।

Wavashi
30/11/2025
(अनुपालन)

Handwritten
एल्लिको
(राजस्व विभाग)

Handwritten
18/11/2025
SDM(S)

Handwritten

24/11/2025

162



A

163/2025



A blue handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'S', is located at the bottom center of the page.

जिलाधिकारी
बरेली।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा दिनांक 24.11.2025 को राजस्व ग्राम विलवा स्थित झील गाटा संख्या 508 रकबा 0.1260 हे० का स्थलीय निरीक्षण किया गया। आपके द्वारा स्थलीय निरीक्षण के समय निर्गत निर्देशों के अनुपालन के क्रम में राजस्व ग्राम विलवा स्थित झील गाटा संख्या 508 रकबा 0.1260 हे० का सीमांकन इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ई०टी०एस०) मशीन के माध्यम से किया गया।

सर्वप्रथम मौके पर अपर जिलाधिकारी नगर व अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय की अध्यक्षता में सर्व टीम, जिसमें नायब तहसीलदार भोजीपुरा, राजस्व निरीक्षक व लेखपाल आदि सम्मिलित थे, मौके पर उक्त गाटा के सीमांकन हेतु पहुँचे। मौके पर सर्वप्रथम उपस्थित समस्त लोगों के समक्ष सर्वे यंत्रों की जाँच की गई जिसमें ई०टी०एस० मॉडल नम्बर ZR003058 (Topcon total station GM series) टॉपकान के कैलीब्रेशन सर्टिफिकेट का अवलोकन किया गया व सर्टिफिकेट एक वर्ष के अन्दर का निर्गत पाया गया, तत्पश्चात् ई०टी०एस० से एक निर्धारित की गई दूरी की माप की गई व उसके उपरांत ई०टी०एस० द्वारा नापी गई उस दूरी का गैर तकनीकी उपस्थित लोगों द्वारा फीते की सहायता से परीक्षण किया गया। उक्त दूरी फीते द्वारा नापे जाने के उपरांत सही पाये जाने पर ई०टी०एस० की शुद्धता के प्रति पूर्णरूपेण आश्वस्त होने पर फर्द मौका तैयार किया गया, जिसमें अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय, राजस्व निरीक्षक विलवा, क्षेत्रीय लेखपाल उर्वशी व अन्य लेखपाल सौरभ चौहान एवं एल्डिको के दो कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। (संलग्नक-1) इसके उपरांत पूर्व निर्धारित झील के दक्षिण-पूर्व कोने पर निर्मित पिलर, जिसे को ऑर्डिनेट फील्डबुक में सीरियल नम्बर 2 से दर्शित किया गया है, उस स्थान पर ई०टी०एस० का स्थापन (लेवलिंग और सेंटरिंग) करते हुए स्टेशन सेटअप किया गया एवं उस प्रथम बिन्दु को ईस्टिंग वेल्सू 1000 व नार्थिंग वेल्सू 2000 देते हुए ई०टी०एस० द्वारा झील के उत्तर-पूर्वी कोने पर लगे पिलर की दूरी नापी गई जो 40.319 मी० आयी। अतः इस बिन्दु की ईस्टिंग वेल्सू 1000 और नार्थिंग वेल्सू 2000+40.319=2040.319 मान ली गई। वास्तविक को-ऑर्डिनेट इसलिए नहीं लिए गये क्योंकि इसका उद्देश्य ई०टी०एस० से प्राप्त नक्शे को राजस्व नक्शे पर सुपरइम्पोज कर गाटा संख्या 508 की वास्तविक स्थिति की जानकारी किया जाना था। को-ऑर्डिनेट फील्डबुक में बिन्दु संख्या 2 से फील्ड में लिए जाने वाले समस्त फिक्स बिन्दु दिखाई नहीं पड़ रहे थे इसीलिए समीप स्थित कम्प्यूनिटी हॉल की छत पर स्वतंत्र रूप से एक प्वाइंट बनाया गया, जिस पर ई०टी०एस० की लेवलिंग और सेंटरिंग की गई एवं को-ऑर्डिनेट फील्डबुक में अंकित सीरियल नम्बर 1 और 2 के बिन्दुओं पर प्रिज्म रखकर रिसेक्शन की प्रोसेस द्वारा छत पर बनाये गये बिन्दु, जिसे को-ऑर्डिनेट फील्डबुक में बीएम1 से अंकित किया गया है, की ईस्टिंग वेल्सू 1056.562 एवं नार्थिंग वेल्सू 1999.472 ज्ञात की गई एवं इसी बिन्दु से फील्डबुक के क्रमांक 3 से क्रमांक 15 तक के बिन्दु लीनियर लाइन मैथड अपनाते हुए लिए गये। क्रमांक 3 गाटा संख्या 908 पर चकमार्ग के मध्य एवं बिन्दु संख्या 4 गाटा संख्या 1480 चकमार्ग के मध्य बिन्दु क्रमांक संख्या 6 गाटा संख्या 1480 एवं गाटा संख्या 932 दर्ज चकमार्गों के तिराहे के मध्य बिन्दु पर लिया गया, क्रमांक संख्या 7 गाटा संख्या 941 चकमार्ग एवं गाटा संख्या 951 दर्ज गूल के कटान बिन्दु पर एवं क्रमांक संख्या 8 गाटा संख्या 900 दर्ज गूल एवं गाटा संख्या 941 चकमार्ग के कटान बिन्दु पर एवं क्रमांक 9 एवं 10 बरेली-नैनीताल मार्ग के मध्य डिवाइडर के बीचो-बीच लिए गये एवं झील के अन्य सिरों पर क्रमशः बिन्दु 11, 12 एवं 13 लिये गये। को-ऑर्डिनेट फील्डबुक में अंकित बिन्दु संख्या 14 एवं 15 अपेक्षाकृत समतल भूमि पर लिए गये जिससे ई०टी०एस० से प्राप्त नक्शे की शुद्धता की माप की जा सके। उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की ईस्टिंग और नार्थिंग वेल्सू को-ऑर्डिनेट फील्डबुक में प्रदर्शित है। (संलग्नक-2) इसके उपरांत को-ऑर्डिनेट फील्डबुक के आधार पर/ई०टी०एस० डाटा को डी०एक्स०एफ० फार्मेट में परिवर्तित कर ऑटोकैड साफ्टवेयर की सहायता से पैमाना 16 इंच = 1 मील पर उपरोक्त लिये गये समस्त बिन्दुओं का नक्शा प्रिंट (संलग्नक-3) किया गया। इसके उपरांत इन समस्त बिन्दुओं को राजस्व नक्शे, जिसका पैमाना 16 इंच = 1 मील है, पर तत्सम्बंधित फिक्स बिन्दुओं पर सुपरइम्पोज किया गया। परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि गाटा संख्या 508 वर्तमान में झील माने गये गाटे के प्रारम्भिक बिन्दु से लगभग 30 मीटर दक्षिण में स्थित पाया गया। उपरोक्त सीमांकन कार्य में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय लिये गये थे वे

अपर नगर मजिस्ट्रेट
बरेली

U

165
प्लान्टेड फिक्स प्लान्ट नहीं थे जिस कारण अनाधिक संभावना भी हो सकती है, इसीलिए मामले की संवेदनशीलता के दृष्टिगत उपरोक्त सीमांकन कार्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेंटर लखनऊ के लैंड यूज एण्ड अर्बन सर्वे डिवीजन से आधुनिकतम तकनीकी से करवाया जाना उचित होगा। आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

दिनांक - 28/11/2025


अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
बरेली



COORDINATES FOR POND			
SN	EASTING	NORTHING	REMARKS
1	1000	2040.319	BOUNDARY
2	1000	2000	BOUNDARY
3	809.952	1983.515	BOUNDARY
4	648.325	1784.71	BOUNDARY
5	905.642	1773.328	BOUNDARY
6	715.523	1777.152	BOUNDARY
7	690.711	2126.674	BOUNDARY
8	701.243	2204.451	BOUNDARY
9	1346.345	1569.13	BOUNDARY
10	1251.499	1936.166	BOUNDARY
BM1	1056.562	1999.472	BENCH MARK ON ROOF
11	984.855	2002.642	BOUNDARY
12	969.503	2009.853	BOUNDARY
13	972.191	2054.444	BOUNDARY
14	994.519	1974.128	BOUNDARY
15	876.083	2006.955	BOUNDARY

[Signature]
अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
रांली



कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक 694 /PA/2025

दिनांक 29 नवम्बर 2025

सेवा में,

निदेशक,
रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0
कुर्सी रोड, सेक्टर-जी, जानकीपुरम
लखनऊ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में गाटा सं0 508 रकबा 0.1260 हे0, स्थित ग्राम बिलवा, तहसील व जिला बरेली, जो राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में दर्ज है, का सीमांकन कराया जाना है, किन्तु सभी फिक्स पाइंट्स विवादित गाटे से सीधी दृष्टिरेखा में स्थित न होने एवं आसपास की भूमि ऊबड़ खाबड़ होने व दलदली होने के कारण परम्परागत सर्वेक्षण विधियों से सीमांकन कार्य संपादित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जबकि उपरोक्त की सीमांकन आख्या तत्काल मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत अवस्थित लैण्ड यूज एण्ड अर्बन डेवलपमेंट डिवीजन के सर्वेक्षण विशेषज्ञों द्वारा उक्त गाटे का सीमांकन आधुनिकतम तकनीक से कराकर सीमांकन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

~~A~~ 29/11/2025

(अविनाश सिंह)

जिलाधिकारी,

बरेली। o/c

प्रतिलिपि-

1- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ ।

~~A~~ 29/11/2025

जिलाधिकारी,

बरेली। o/c

~~A~~



रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश
REMOTE SENSING APPLICATIONS CENTRE-UTTAR PRADESH
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ०प्र० शासन)
(Department of Science & Technology, Govt. of UP)

ALOK SAINI
SCIENTIST & INCHARGE
Land USE and Urban Surveys Division

सेक्टर-जी, जानकीपुरम,
Sector-G, Jankipuram
कुर्सी रोड, लखनऊ -226021
Kursi Road, Lucknow-226021
Mob. No.: +91 9839912030
E-mail : alok.saini@rsacup.org.in

Date 12-12-2025

No. : RSAC/LUSD:2025/1751

सेवा में,

SDM (कमल)
W.O.F
(A)

जिलाधिकारी
जनपद-बरेली,
उ०प्र०।

विषय: ग्राम बिलवा, तहसील व जनपद-बरेली के गाटा संख्या-508 का सीमांकन के सम्बन्ध में।

जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
18/12/25 बरेली महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 694/PA/2025 दिनांक 29.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा ग्राम बिलवा, तहसील व जनपद-बरेली के गाटा संख्या-508 रकबा 0.1260 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में दर्ज है, जिसकी सीमांकन कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में ग्राम-बिलवा का सेटेलाइट डाटा के माध्यम से जियोरिफरेंसिंग एवं डिजिटलाइजेशन का कार्य कर मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपके संज्ञान में लाना है कि उपरोक्त विषयक राजस्व ग्राम के स्केल मानचित्र शुद्धता तथा सेटेलाइट डाटा के रिजोल्यूशन पर निर्भर है। उक्त के दृष्टिगत जियोरिफरेंसिंग कार्य में सूक्ष्म त्रुटि भी संभावित है।

सादर।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

1766/1/18

Alok Saini
(आलोक सैनी)

प्रभारी

भू.उ.न.स.प्रभाग

NT (प्रो.स.प्र.)
शरणि (बिलवा)

प्रतिलिपि: निदेशक, आर.एस.ए.सी. यू.पी. लखनऊ।

19/12/25

725- (1) NT


NT/18/25
K.O.P

(आलोक सैनी)

जिलाधिकारी (सदर)

17/12/25

Village Belwa Tehsil- Bareilly



Legend

- Belwa
- Ghanghora Piparia
- Dohna Pitam Rai
- Plot No 508




जिलाधिकारी
बरेली।

महोदय,

आज दिनांक 03.12.2025 को रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेंटर लखनऊ के पत्र दिनांक 02.12.2025 के आधार पर तहसील व जिला बरेली के राजस्व ग्राम विलवा के वर्तमान में परम्परागत सीमांकन से झील माने गये गाटे के प्रारम्भिक बिन्दु से लगभग 30 मीटर दक्षिण में परिशुद्ध झील गाटा संख्या 508 रकबा 0.1260 हे० पाया गया जिसकी स्केलिंग करने के उपरांत सीमांकन एवं चिन्हीकरण तहसील सदर की राजस्व टीम द्वारा कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त गाटा समतल एवं अतिक्रमणमुक्त है।


अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
बरेली।



02/12/2025 की स्थिति

173



A

नजरी नम्बर 174

ग्राम-वित्तवा तहसील व जिला - वरेली

E
S



रोड
मैतीताल
बरेली


नोट: पारम्परिक उडिया से सीमांकन उपरान्त जायदाद संख्या - 508 रक्बा 0.1260 हे० की हिमाति।

१.

(A)

नजरी नम्बरा 176


ग्राम-वितवा तहसील व जिला - वरेली



नोट: रिमोट लेंसिंग से की गई फोटो (सीमांकन व प्राल नवीन लिपि के अंग) सं. 508.

A.

(A)



नोट: पूर्व लिखत गांव सं० 508 रंग पीला, मुख्यतः क
 ETS/ रिमोट केन्द्र के प्रांत गांव सं०-508 रंग गुलाबी.

~~A~~

५.

रोड
 मीताल
 बरेली

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5016/2016 मंत्री टैकजोन प्रा० लि० मामले में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राजस्व ग्राम विलवा पर0 तह0 व जिला बरेली में स्थित झील गाटा संख्या 508 रकबा 0.126 हे0 की परिधि से 75 मीटर दायरे का चिन्हांकन किया गया।

चिन्हांकन के दौरान ज्ञात हुआ कि परिधि से 75 मीटर के दायरे में झील के दक्षिण पूर्व दिशा में एल्टिको कालोनी का क्लब, जल संचयन हेतु निजी तालाब तथा उत्तर-पूर्व दिशा में कालोनी के निजी तालाब का आंशिक भाग एवं 6 विला व 5 प्लाट आ रहे हैं। उत्तर दिशा में 5 विला आ रही हैं। इस प्रकार झील की परिधि से 75 मी. दायरे में कुल 11 विला, 6 प्लाट, क्लब, एवं जल संचयन हेतु निजी तालाब आ रहे हैं। झील के दक्षिण दिशा में 75 मी. दायरे में कालोनी की अस्थायी दीवार के बाहर लगभग 4 मी. का भाग आ रहा है जो गाटा संख्या 495 रकबा 0.594 हे0 का भाग है जो मौके पर रिक्त है एवं कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त हो रहा है। उक्त गाटा संख्या एल्टिको सिटी के नाम अंकित नहीं है। गाटा संख्या 494 रकबा 0.329 हे0 एल्टिको सिटी की अस्थायी दीवार के अन्दर आ रहा है परन्तु यह गाटा संख्या एल्टिको सिटी के नाम अंकित नहीं है। गाटा संख्या 494 रकबा 0.329 हे0 व गाटा संख्या 495 रकबा 0.594 हे0 कृष्ण कुमार पुत्र भय्या लाल निवासी बिहारीपुर कसगारन जिला बरेली के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। कृष्ण कुमार पुत्र भय्या लाल के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि कम्पनी द्वारा बनायी जा रही अस्थायी बाउन्ड्री वॉल के अन्दर आ रही मेरी जमीन को बाउन्ड्री वॉल के अन्दर करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। झील के पश्चिमी दिशा में 75 मी. परिधि के अन्तर्गत एल्टिको कालोनी की रिक्त भूमि स्थित है। झील के पश्चिमी दिशा में 75 मी. परिधि के अन्तर्गत एल्टिको कालोनी के रिक्त भूमि स्थित है।

इसके अतिरिक्त सादर अवगत कराना है कि झील गाटा संख्या 508 रकबा 0.126 हे0 के आसपास के संलग्न गाटा संख्या 500 रकबा 0.531 हे0 व गाटा संख्या 503 रकबा 4.856 हे0 व गाटा संख्या 507 रकबा 0.253 हे0 एवं 509 रकबा 0.948 हे0 कुल चार गाटे रकबा 6.588 हे0 एल्टिको की अनुषांगिक कंपनियों यथा बनयान इन्फ्राकॉन प्रा० लि०, पापुलर इन्फ्राटेक प्रा० लि०, मैसर्स ग्लेज रियल टेक प्रा० लि० एवं वैलकम इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि० द्वारा विक्रय पत्रों के माध्यम से कय किये जा चुके हैं। वर्तमान खतौनी में उक्त गाटा संख्याएं सम्बन्धित कम्पनियों के नाम दर्ज हैं।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

Uswanki

उर्वशी

राजस्व लेखपाल

भन्त्र-

Prakash
राजस्व निरीक्षक
गाटा सादर, बरेली

Prakash
Pr (S)

Tamra

A

पत्रांक:

854
5

/एस0टी0:2025

दिनांक: 08-01-28

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नम्बर 745/2024, सियाराम मण्डल बनाम एल्लिको कम्पनी व अन्य एवं ओ0ए0 नम्बर 951/2024, राजपाल सिंह बनाम एल्लिको कम्पनी में दिनांक 30.10.2025 को पारित आदेश में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 5016/2016 मंत्री टेकजोन प्रा0लि0 बनाम फारवर्ड फाउण्डेशन में दी गई व्यवस्था के क्रम में राजस्व ग्राम विलवा स्थित झील गाटा संख्या 508 रकबा 0.1260हे0 की परिधि से 75 मीटर के दायरे के अन्तर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों की जाँच हेतु उप जिलाधिकारी सदर, बरेली के नेतृत्व में निम्नलिखित टीम गठित की जाती है-

1. उप जिलाधिकारी सदर, बरेली।
2. तहसीलदार सदर, बरेली।
3. नायब तहसीलदार भोजीपुरा सदर, बरेली।
4. राजस्व निरीक्षक विलवा
5. क्षेत्रीय लेखपाल

उक्त टीम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की स्थलीय एवं अभितेजीय जाँच करते हुए अपनी सुस्पष्ट जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दो दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Sh

(सौरभ दुबे)

अपर जिलाधिकारी (नगर)
बरेली।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्बंधित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
बरेली।

A

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बरेली।

पत्रांक:- 659/4700 - 2025/विनिव

दिनांक-04-11-2025

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नम्बर 745/2024, सियाराम मण्डल बनाम एलडिको कम्पनी व अन्य एवं ओ0ए0 नम्बर 951/2024, राजपाल सिंह बनाम एलडिको कम्पनी में दिनांक 30.10.2025 को पारित आदेश के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 नम्बर 745/2024, सियाराम मण्डल बनाम एलडिको कम्पनी व अन्य एवं ओ0ए0 नम्बर 951/2024, राजपाल सिंह बनाम एलडिको कम्पनी विचाराधीन है, जो कि ग्राम विलवा, स्थित गाटा संख्या 508 रकवा 0.1260 हे0 झील के अनुरक्षण से सम्बन्धित है जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 30.10.2025 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

.....Thus, we require the District Magistrate, Bareilly to appear virtually on the date of hearing and appraise the tribunal about the correct position. In the meanwhile, District Magistrate, Bareilly will insure that no illegal construction takes place on the catchment area of the water body....."

माननीय अधिकरण के आदेश के समादर में ग्राम विलवा स्थित झील गाटा संख्या 508 रकवा 0.1260 हे0, जिसके आस पास की भूमि को एलडिको कम्पनी द्वारा अधिग्रहित किया गया है, एवं झील के आस पास की भूमि गाटा सं0 500, 503, 507 व 509 श्रेणी 1(क) संक्रमणीय भूमिधर है, को संरक्षित किये जाने हेतु अग्रिम आदेशों तक झील के परिधि से 75 मीटर दायरें में किसी प्रकार की निर्माण गतिविधि को अनुमति न प्रदान की जाये। तदनुसार माननीय अधिकरण के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
बरेली।

प्रतिलिपि:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त नगर निगम बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी सदर, बरेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रबन्धक एलडिको बरेली को मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

30/11/25
NT(अ)पु(2)

तएव
रुप

01/12/25

(A)

(A) 4/11/2025

जिलाधिकारी,
बरेली।